समर्पण
आयोजनेत्तर–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515008001342

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी(मु0),
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या 1/ 1328 /2015–1/103/2015 : लखनऊ: दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

विषय:–त्रिस्तरीय पंचायतो के सामान्य निर्वाचन, 2015 के लिए प्रदेश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या (रैपिड सर्वे) कराये जाने हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करायी गयी जिसमें से अवशेष धनराशि का समर्पण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, पंचायती राज उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–/2015/1399/ 33–3– 2015–02(रा0नि0आ0)/2015, दिनांक 22 मई, 2015 व संशोधित शासनादेश संख्या–20/2015/1565/ 33–3– 2015–02(रा0नि0आ0)/2015, दिनांक 12 जून, 2015 के अन्तर्गत निदेशालय के पूर्व प्रेषित आदेश संख्या–1/शा0/45/2015–1/103/2015 दिनांक 17 जून, 2015 के अन्तर्गत, जिला पंचायत राज अधिकारी(मु0)/आहरण एवं वितरण अधिकारी, पंचायती राज निदेशालय को रू0–59,00,000/– का आवंटन किया गया था, जिसमें से अवशेष धनराशि रू0–9,57,000/–यात्रा भत्ता मद में तथा रू0–34,80,000/–पी0ओ0एल0 मद में इस प्रकार कुल रू0–44,37,000/– का समर्पण अपने अशासकीय पत्र संख्या–3/आकिंक/573/2015 दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्राप्त कराया गया है, जिसे स्वीकार किया जा रहा है। समर्पित धनराशि का कदापि आहरण न किया जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह समर्पण निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– पर अंकित है।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/1328/1/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
2–एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।